



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02062021-227335
CG-DL-E-02062021-227335

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 298]
No. 298]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 2, 2021/ज्येष्ठ 12, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 2, 2021/JYAISHTHA 12, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जून, 2021

संख्या 01/2021-संघ राज्य कर (दर)

सा.का.नि. 376(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप धारा (5) के साथ पठित संघ राज्य माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 710 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, -

- (क) अनुसूची I - 2.5% में, क्रम संख्या 259क के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "9503" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

- (ख) अनुसूची I के पश्चात, सूची 1 में, क्रम संख्या 230 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा -

“(231). डायथाइलकार्बामाज़िन”.

2. यह अधिसूचना दिनांक 2 जून, 2021 से लागू होगी।

[फा. सं. 354/53/2021]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 710 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 03/2020-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 25 मार्च, 2020, जिसे सा.का.नि. 218 (अ), दिनांक 25 मार्च, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd June, 2021

No. 01/2021 – Union territory Tax (Rate)

G.S.R. 376(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017) read with sub-section (5) of section 15 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.1/2017- Union territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 710 (E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

- (a) in Schedule I - 2.5%, against S. No. 259A, for the entry in column (2), the entry “9503” shall be substituted;
- (b) after Schedule I, in the List 1, after serial number 230 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely-
“(231). Diethylcarbamazine”.

2. This notification shall come into force on the 2nd day of June, 2021.

[F. No. 354/53/2021]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: - The principal notification No.1/2017-Union territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 710(E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No. 03/2020-Union territory Tax(Rate), dated the 25th March, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 218(E), dated the 25th March, 2020.